



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं0 पटना 807) पटना शुक्रवार 17 जुलाई 2026

सं० पर्य०यो०के०-24 / 2007 / 2025—प०वि०
पर्यटन विभाग

संकल्प

16 जुलाई 2026

विषय:- कैमूर जिलान्तर्गत माँ मुण्डेश्वरी भवानी मंदिर स्थित पर्यटन विभाग द्वारा नवनिर्मित धर्मशाला के सुचारु संचालन एवं समुचित देख-रेख हेतु माँ मुण्डेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति, कैमूर को प्राधिकृत किए जाने की स्वीकृति।

कैमूर जिलान्तर्गत माँ मुण्डेश्वरी मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटक स्थल है। यहाँ आने वाले पर्यटकों की सुविधा हेतु जिला पदाधिकारी, कैमूर के पत्रांक-972 दिनांक- 26.05.2008 के द्वारा धर्मशाला निर्माण के लिए 2.50 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया गया था।

2. पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ आने वाले पर्यटकों/श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु वर्ष 2008 में धर्मशाला निर्माण की योजना राशि 3,47,00,000/- (तीन करोड़ सैंतालिस लाख) रुपये मात्र की योजना स्वीकृत की गयी थी। योजना का निर्माण कार्य बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के माध्यम से कराया गया है। योजना के अन्तर्गत G+1, भवन का निर्माण किया गया है। इसके तहत 6 कमरा, 2 अद्द डॉरमेट्री, मल्टीपरपस हॉल, डाईनिंग हॉल, किचेन, स्टोर कक्ष, पैन्ट्री, मैनेजर रूम, जन-सुविधा एवं अन्य आदि कार्य किये गये हैं। उक्त योजना पूर्ण है।

3. सचिव, माँ मुण्डेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति, कैमूर के पत्रांक - 02 दिनांक 17.01.2025 द्वारा उक्त नवनिर्मित धर्मशाला को सुचारु रूप से संचालित करने एवं बेहतर रख-रखाव हेतु माँ मुण्डेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति को हस्तगत कराने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा भी उक्त नवनिर्मित धर्मशाला को सुचारु रूप से संचालित करने एवं बेहतर रख-रखाव हेतु माँ मुण्डेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति को हस्तगत कराने की अनुशंसा की गयी है।

4. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस परिसम्पत्ति के एक नियमित अवधि तक संचालन एवं रख-रखाव हेतु माँ मुण्डेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति को निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राधिकृत किया जाता है :-

- (क) परिसम्पत्ति के संचालन एवं प्रबंधन हेतु बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम एवं माँ मुण्डेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति के मध्य एकरारनामा किया जा सकता है। इस कार्य हेतु पर्यटन विभाग, बिहार सरकार बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को प्राधिकृत कर सकेगा।
- (ख) उक्त नवनिर्मित धर्मशाला, मुण्डेश्वरी, कैमूर का परिचालन "ना लाभ-ना हानि" (NO PROFIT NO LOSS) के आधार पर किया जायेगा।

- (ग) ना लाभ-ना हानि पद्धति पर संचालन सुनिश्चित करने तथा इसके अनुश्रवण हेतु जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा पदाधिकारियों की एक समिति गठित की जायेगी।
- (घ) इस परिसम्पत्ति पर पर्यटन विभाग, बिहार सरकार का पूर्ण स्वामित्व अक्षुण्ण बना रहेगा, इसके लिए 1,000/- (एक हजार) रुपये मात्र का वार्षिक शुल्क माँ मुण्डेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति, कैमूर द्वारा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को भुगतान किया जायेगा।
- (ङ) यह एकरारनामा प्रथमतः दस (10) वर्षों के लिए किया जायेगा। आवश्यकतानुसार इस अवधि का विस्तार दोनों पक्षों (माँ मुण्डेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति, कैमूर एवं बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम) की सहमति एवं पर्यटन विभाग के अनुमोदन के उपरांत किया जा सकेगा।
- (च) परिसम्पत्ति के मूल स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि पर्यटक सुविधा के दृष्टिकोण से संरचना में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो पर्यटन विभाग से इसकी पूर्व अनुमति प्राप्त की जायेगी। परिसम्पत्ति संचालन के क्रम में सामान्य मरम्मत का दायित्व माँ मुण्डेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति का होगा।

5. उपरोक्त उल्लेखित शर्तों के अधीन कैमूर जिलान्तर्गत माँ मुण्डेश्वरी भवानी मंदिर स्थित पर्यटन विभाग द्वारा नवनिर्मित धर्मशाला के सुचारु संचालन एवं समुचित देख-रेख हेतु माँ मुण्डेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति, कैमूर को प्राधिकृत किए जाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की दिनांक-15.07.2026 को सम्पन्न बैठक में मद् संख्या- 11 के रूप में प्रदान की गयी है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 807-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>**